न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही
2. श्रीमती भुरी पत्नी श्री चुनाराम जाति– घांची, निवासी– वाटेरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 193/2020

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1.श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही(प्रार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री अश्विन कुमार मरडिया, अप्रार्थी संख्या– 2 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 12 नवम्बर, 2021**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड़ आवंटन करने के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 29677 दिनांक 08 जून 2017 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्ड़वाडा द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी आवेदन जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही के क्षेत्राधिकार के होने से जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही में प्रस्तुत किया गया। जिला कलक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांकःकोर्ट/2020/742–43 दिनांक 20.10.2020 से उक्त निगरानी आवेदन इस न्यायालय को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से उसके अधिवक्ता उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा) को नोटिस की तामिल होने पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12.3.2021 को श्री दुर्गेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन बहस हेतु नियत तिथि को अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

(3) प्रकरण में दिनांक 29.10.2021 को बहस सुनी गई। बहस के दौरान श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या–2 को रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 को पारित करते हुए इस प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या–2 को रियायती दर पर पट्टा विलेख जारी किया गया है, जो नियम विरुद्ध जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या–2 का ग्राम वाटेरा में ...ही

.....पेज...

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:57:07 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

आवासीय मकान बना हुआ है जिसमें अप्रार्थी संख्या–2 अपने परिवार के साथ निवास करती है। अप्रार्थी संख्या–2 साधन सम्पन्न परिवार की है, इस कारण से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या–2 रियायती दर पर या निःशुल्क भूखण्ड पाने की पात्रता नही रखती है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत पंचायत ग्राम की आबादी में 300 वर्गगज तक की भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति, स्वच्छकारों, पिछडे वर्ग के सदस्यों, कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, बी.पी.एल. में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों या जिनके आवास बाढ के कारण बह गये है व भविष्य में रहने योग्य नही रहे है को रियायती दर पर/निःशुल्क आवंटन कर सकेगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ. 4()पीसी/परावि/आबादी पट्टा/2009/96 दिनांक 06.1.2020 में स्पष्ट किया है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत कमजोर वर्गो को रियायती दर पर/निःशुल्क भूखण्ड आवंटन का प्रावधान है एवं बीपीएल सेन्सस 2002 के सर्वे में ऐसे परिवार जिनके पास राज्य में कोई भूखण्ड या मकान नही है, वे ही व्यक्ति इस नियम के तहत रियायती दर पर भूखण्ड पाने के पात्र है। पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ.4(1)परावि/पीसी/आभू/2004/597 दिनांक 18.6.2004 में स्पष्ट किया है कि पात्र परिवार की वार्षिक आय 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) से अधिक नही हो। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने अप्रार्थी संख्या–2 के वार्षिक आय का प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही एवं अप्रार्थी संख्या–2 का राज्य में कहीं पर भी आवासीय मकान या आवासीय भूखण्ड है या नही, की जांच किये बिना ही रियायती दर पर/निःशुल्क भूखण्ड का आवंटन करते हुए पट्टा विलेख जारी किया है, जो विधि अनुरुप नही है। यह कि ग्राम पंचायत, वाटेरा को आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 142 के तहत प्लान तैयार किये बिना ही पट्टे जारी किये है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों से आबादी विस्तार हेतु आवंटित आबादी भूमि का सीमाज्ञान भी नही करवाया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रदत्त प्रावधानों का पालन किये बिना ही अपात्र व्यक्तियों को रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन कर पट्टा जारी किया है, जबकि अप्रार्थी संख्या–2 रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता नही रखती है जिसकी पुष्टि इस प्रकरण में प्रस्तुत श्री केतन ओझा, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हीराराम, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होता है। अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्ड़वाडा का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा के संकल्प संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 को एवं इसके अनुसरण में अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब एवं विधिक दृष्टान्त 1990 RRD 347, 1982 RLW 371 Para (c), 1983 RLW 268 Para (c), 1984 RRD 692 Para 10, 1986 WLN(UC)272, 1997 DNJ (raj.) 751, 1997(3)RLW 1567 Para 45, 46, 1997 SAR 783(SC), 1999(3)RLW 1390 Para 5, 1994 RRD 568, 2001(1)RLW 89, 1991 RRD 148, 1999 WLC(UC) 264 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया [illegible] र्थी संख्या–2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के निय[illegible] तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का पट्टा जारी कि[illegible] यह स्पष्ट नही किया है कि किस नियम के [illegible] द्वारा नही की गई है।

......पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:57:07 IST
Reason: SelfAttested

नियम व प्रावधान विधिक प्रक्रिया को आसान बनाने के लिये बनाये गये है, न कि अडचन व उलझन पैदा करने के लिये। ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह भूमि ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु आवंटित की हुई आबादी भूमि है। ग्राम पंचायत को पंचायत की आबादी भूमि को नियमन करने व विक्रय करने तथा रियायती दर पर आवंटन करने का राजस्थान पंचायती राज नियमों में पूर्ण अधिकार प्रदत्त है। यह कि अप्रार्थी संख्या–2 के व अन्य ग्रामवासियों के ग्राम वाटेरा के खसरा संख्या 453 व 497 में पुराने कब्जे थे व अप्रार्थी संख्या–2 व उसके परिवारजन इस भूमि में मवेशी रखने व गोबर, घास डालने हेतु उपयोग व उपभोग में ले रहे थे। उक्त भूमि पंचायत को आवंटन हेतु उपलब्ध ही नही थी। राज्य सरकार द्वारा भौतिक स्थिति की जानकारी किये बिना ही तथा पटवारी द्वारा भी कब्जे के संबंध में उच्च अधिकारियों को जानकारी दिये बिना ही भूमि ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु आवंटित करवाई। उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या–2 का कच्चा झौपडा बना हुआ था एवं उक्त भूमि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियमन हेतु जारी दिशा निर्देशों की पालना में अप्रार्थी संख्या–2 उक्त भूमि नियमन करवाने की पात्रता भी रखती थी। अप्रार्थी संख्या–2 ने भूमि के नियमन हेतु आवेदन किया था। इस कारण से अप्रार्थी संख्या–2 उक्त भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत कब्जे का नियमन करवाने का भी अधिकार रखती है, लेकिन ग्राम पंचायत, वाटेरा ने अप्रार्थी संख्या–2 के पुराने कब्जे की भूमि का उक्त नियम 157 के तहत नियमन नही कर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर विक्रय विलेख जारी किया है। अप्रार्थी संख्या–2 को उक्त भूमि के मौके से कभी भी बेदखल नही किया गया। ग्राम पंचायत, वाटेरा के सरपंच/उप सरपंच व सचिव तथा वार्ड पंच लीलाराम द्वारा उक्त कब्जे वाली भूमि का आबदी का पट्टा अप्रार्थी संख्या–2 व उसके परिवारजनों को दिये जाने का झूठा कथन करते हुए भूमि का नियमन करवाने हेतु आवेदन अप्रार्थी संख्या–2 से व **उसके पति** से प्राप्त किये। अप्रार्थी संख्या–2 व उसके परिजन अनपढ व ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है जिन्हें बहला फुसलाकर भूमि की सफाई करने व सफाई के बाद पुनः कब्जा दिये जाने का झूठा व बनावटी कथन करते हुए अप्रार्थी संख्या–2 व उसके परिजनों से उक्त भूमि का कब्जा ले लिया था। अप्रार्थी को जारी विक्रय विलेख वाली भूमि गत 15 वर्षो से अप्रार्थी व उसके परिजनों के कब्जे में चली आ रही है। राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत कब्जेशुदा भूमि को विक्रय अथवा नियमित करने हेतु पृथक से प्रावधान है और उन्ही प्रावधनों के तहत अप्रार्थी संख्या–2 नियमन कराने की अधिकारी है। अतः राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 142 के प्रावधानों की पालना किये जाने की ग्राम पंचायत के लिये आवश्यकता नही रहती है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा दर्शाए प्रावधान इस प्रकरण की परिस्थितियों में लागू नही होते है। अप्रार्थी संख्या–2 ने ग्राम पंचायत, वाटेरा में अपने पुराने कब्जेशुदा भूमि के नियमन हेतु आवेदन किया था, लेकिन ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आवेदन को किन नियमों के तहत दर्ज किया और किस प्रावधान के तहत अप्रार्थी संख्या–2 के पुराने कब्जेशुदा भूमि का नियमन किया गया है, उन नियमों की व प्रावधानों की पालना किया जाना अप्रार्थी संख्या–2 से अपेक्षित नही था। नियमों की पालना करने वाले अधिकारी द्वारा किये गये कार्य व लोप का प्रभाव अप्रार्थी संख्या–2 के हक में हुए अन्तरण की वैधता पर नही पडता है क्योंकि अप्रार्थी संख्या–2 का नियंत्रण उन परिस्थितियों पर नही था कि नियमों की अनुपालना वह करवाती। ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा किये गये किसी भी कार्य के लिये अप्रार्थी संख्या–2 को दोषी नही ठहराया जा सकता है [illegible] अप्रार्थी संख्या–2 को इस हेतु दण्डित किया जा सकता है। यदि पट्टा [illegible] ग्राम पंचायत स्तर पर कोई कमी रही है या अनियमितता [illegible] किया जा सकता

......पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:57:07 IST
Reason: SelfAttested

है। अप्रार्थी संख्या–2 के स्वामित्व का कोई गृह स्थल ग्राम वाटेरा में नही है। उक्त भूमि के मौके पर अप्रार्थी संख्या–2 का वर्ष 2016 से पहले का पुराना कब्जा था एवं पुराना झौपडा बना हुआ था जो राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में विनियमीतीकरण किये जाने योग्य था। यह कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 166 के तहत आबादी भूमि विक्रय करने के पंचायत के मूल आदेश की अपील अधिनियम की धारा 61 के तहत किये जाने का प्रावधान किया गया है जिन मामलों में अपील प्रावधनित है, उन मामलों में निगरानी के जरिये हस्तक्षेप करना अपीलीय न्यायालयों द्वारा अवैध होना विनिश्चत किया है। निगरानी व अपील की सुनवाई व आपत्ति हेतु पृथक व सीमित अधिकार प्रदान किये गये है। प्रार्थी ने निगरानी के जो आधार लिये है वे अपील में ही उठाये जा कसते है। विधि में अपील की व्याप्ति व निगरानी की व्याप्ति में भारी भिन्नता है। निगरानी की व्याप्ति सीमित है एवं निगरानी केवल क्षेत्राधिकर की त्रुटि के संबंध में प्रस्तुत की जा सकती है। प्रार्थी निगरानी के जरिये प्रार्थना पत्र में उठाई आपत्ति की सुनवाई कराने का अधिकारी नही है। अप्रार्थी संख्या–2 के अधिवक्ता ने बहस में यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में जारी विक्रय विलेख का उप पंजीयक कार्यालय, भावरी से पंजीकृत है तथा पंजीकृत विक्रय विलेख को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नही होकर सक्षम सिविल न्यायालय को ही है। यह कि जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित डी.एल.सी. दर के आधार पर प्रार्थी ने प्रश्नगत विक्रय विलेख को चुनौती है, जबकि डी.एल.सी. दर प्रत्येक स्थान की अलग अलग होती है। विवादित विनियमितीकरण पट्टे वाली भूमि 15 वर्ष से भी अधिक पुराने कब्जे की है। उक्त भूमि से अप्रार्थी संख्या–2 को मौके से भौतिक रुप से कभी भी बेदखल नही किया गया है। अप्रार्थी संख्या–2 ने भूखण्ड पर नीवं खुदवाई है और हजारों रुपये नियमन व निर्माण हेतु व्यय किये है। यदि अप्रार्थी संख्या–2 के विक्रय विलेख को वैध होते हुए भी निरस्त कर दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या–2 को अपूरणीय क्षति होगी। अप्रार्थी संख्या–2 व उसके पति ने मुश्किल से बचत कर रहने हेतु भूमि क्रय की है। विधि में राजस्थन सरकार को पृथक से कोई छुट प्रदान नही की गई और नियम कायदे प्रार्थी पर भी लागू होते है। उक्त परिस्थितियों में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी क्षेत्राधिकार में नही होने से कानूनन परिपोषणीय नही है। प्रार्थी ने निगरानी आवेदन भी युक्तियुक्त समय में प्रस्तुत नही किया है, जहां संबंधित अधिनियम/नियमों में मियाद अवधि निर्धारित नही है, वहां सामान्य अवधि अधिनियम के तहत निगरानी हेतु 90 दिन की अवधि निश्चित है, इस प्रकार प्रार्थी का निगरानी आवेदन मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 05.6.2017 में प्रस्ताव संख्या– 7 पारित कर अप्रार्थी संख्या–2 को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लेते हुए इस प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का पट्टा विलेख संख्या 29677 **दिनांक 08 जून 2017** को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158(1) के अनुसार पंचायत, गांव आबादियों में 3000 वर्गगज तक कि आबादी भूमि अनुसूचित [illegible], अनुसूचित जनजातियों, पिछडा वर्ग के सदस्यों को, गांव कारि[illegible] मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण

.....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:57:07 IST
Reason: SelfAttested

विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडियों लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नही है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, को रियायती दरों पर आवंटन कर सकेगी।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, पिण्ड़वाडा के आदेश क्रमांकःराजस्व/2016/208 दिनांक 11.3.2016 के द्वारा ग्राम पंचाययत, वाटेरा को ग्राम वाटेरा के खसरा संख्या 382, 697, 1148 किस्म क्रमशः गै.मु. पहाड, गै.मु. पत्थर, गै.मु. पत्थर में से रकबा क्रमशः 5.00 बीघा, 1.12 बीघा व 0.07 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई थी। उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या–3 के अनुसार अतिक्रमण शुदा कब्जे की भूमि को बाजार दर पर राशि जमा कराने पर ही आबादी के लिये ग्राम पंचायत विक्रय कर पट्टा जारी करेगी, अन्यथा अतिक्रमियों को मौके से बेदखल कर दिया जायेगा। इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या–4 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर पट्टा देने का निर्णय लेती है तो अतिक्रमियों के पास आवास है या नही, आय आदि के बारे में ग्राम पंचायत की समिति में ग्रामसेवक व पटवारी (मौका रिपोर्ट वाली समिति में) शामिल किया जाकर ही नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकेंगे। आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि के भूखण्ड़ों का नक्शा प्लान तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन कराना होगा। पंचायती राज अधिनियम व उसके अर्न्तगत बने नियमों के अनुसार भूखण्ड़ पाने की पात्रता रखते है, उन्हें नियमानुसार भूखण्ड़ आवंटन किये जा सकेगें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार नही किया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा के पास ऐसा कोई प्लान नक्शा उपलब्ध नही है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अप्रार्थी संख्या–2 को कौन से खसरा संख्या नंबर में किस भूखण्ड़ का पट्टा जारी किया है, जो उपखण्ड़ अधिकारी, पिण्डवाडा के उक्त आवंटन आदेश दिनांक 11.3.2016 की शर्त संख्या–6 का उल्लंघन है। उपखण्ड़ अधिकारी, पिण्डवाडा के उक्त आवंटन आदेश की शर्त संख्या–4 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर भूखण्ड़ आवंटन का निर्णय लेती है तो इन व्यक्तियों/अतिक्रमियों के पास आवास है या नही, आय आदि के बारे में ग्राम पंचायत की समिति में ग्रामसेवक व पटवारी को (मौका रिपोर्ट लेने वाली समिति में) शामिल किया जाकर ही नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकेंगे, लेकिन ग्राम पंचायत, वाटेरा ने उपखण्ड़ अधिकारी, पिण्डवाडा के इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या–4 की भी पालना नही की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या–2 रियायती दर पर भूखण्ड़ प्राप्त करने की पात्रता नही रखती है। इससे, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार करवाये बिना ही एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या–2 के रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन की पात्रता की जांच किये बिना ही अप्रार्थी संख्या–2 को रियायती दर पर भूखण्ड़ आवंटन का पंचायत बैठक में निर्णय लेते हुए पट्टा विलेख जारी किया है जो विधि सम्मत नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:57:07 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज छः पर

अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड़ आवंटन के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 एवं इस प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 29677 **दिनांक 08 जून 2017 को निरस्त** किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर. खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:57:07 IST
Reason: SelfAttested